—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :— 02/04/2026

वादीगण की ओर से श्री गुरमेल सिंह अधिवक्ता, श्री अर्जुन सिंह नरूका प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ता 9, 19,21,22 की ओर से व श्री संदीप सैन प्रतिवादी संख्या 10, 12 ता 17 राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक.......................... को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पैत्रक कृषि भूमि के संबधं में घोषणात्मक वाद राजस्थान काश्तकारी

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अधिनियम 88 के तहत पैत्रक कृषि भूमि होने के कारण एवं आपसी सहमति प्रतिवादी पत्र होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है वाद वादीगण स्वीकार कर राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 88 के मंगल सिंह के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 23 एस०टी०जी० के जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 43/41 के पत्थर नम्बर 53/320 (52) किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 5.692 हैक्टेयर नाली–मय कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि में मंगल सिंह का नाम कलमजन किया जाकर निम्नअनुसार घोषणा की जाती है–

1.वादी संख्या 1 ता 5 एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 3.985 है. बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जातें है।

2. प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 को 0.455 है. बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 0.11384 है. में बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. प्रतिवादी संख्या 10 ता 17 का .5692 है. का बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 को .18973 है. में बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

6. प्रतिवादी संख्या 21 को .18973 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

7. प्रतिवादी संख्या 22 को .18974 है का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म :यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा